राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

(जी–3, राजमहल पैलेस रेजिडेन्शियल एरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम जयपुर–302013)
(टैलीफैक्स–0141–2222403, ई–मेल–dlbrajasthan.gmail.com वेब साईट www.lsgraj.org)

क्रमांकः–प.1(ग)( )का/एसएमई/एलएसजी/18/ 4557-4787 दिनांक :– 29/5/18

1. जिला कलक्टर
   समस्त।
2. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी
   नगर निगम/परिषद/ पालिका
   समस्त।
3. उपनिदेशक (क्षेत्रीय),
   स्थानीय निकाय विभाग,
   समस्त राजस्थान।

विषयः– सफाई कर्मचारी भर्ती हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बाबत।
प्रसंग :– विभागीय पत्र क्रमांक 4042–4272 दिनांक 17.05.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के द्वारा सफाई कर्मचारी भर्ती में आरक्षण के प्रावधान एवं लॉटरी प्रक्रिया के सन्दर्भ में आपको विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गये थे। उक्त के अतिरिक्त आंशिक संशोधन के साथ निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैः–

आरक्षण के संबंध में मार्गदर्शन :–

- राज्य सरकार द्वारा आरक्षण निम्न प्रकार निर्धारित किया हुआ है :–

(अ) अनुसूचित जाति के लिए 16 प्रतिशत।

(ब) अनुसूचित जनजाति के लिए 12 प्रतिशत।

(स) अन्य पिछडा वर्ग के लिए 21 प्रतिशत।

(द) अति पिछडा वर्ग के लिए 01 प्रतिशत।

(य) सामान्य वर्ग के लिए 50 प्रतिशत।

विज्ञापित पदों का वर्गीकरण करें यथा सामान्य पुरूष/महिला/विधवा महिला/परित्यकता महिला हेतु कितने–कितने पद आरक्षित है, इस हेतु निम्न प्रकार से चार्ट बनायें :–

कुल पद	वर्ग (सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग)						
	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यकता	भूतपूर्व सैनिक	निःशक्तजन	खिलाडी

सभी वर्गो के लिये उपरोक्त तालिका के अनुसार वर्गीकरण किया जावेगा।

नोट :– राज्य सरकार द्वारा सीधी भर्ती के रिक्त पदों में विभिन्न नियमों के तहत 03 प्रतिशत पद विशेष योग्यजन (निःशक्तजन) के लिए आरक्षित किये गये है तथा 2 प्रतिशत पद उत्कृष्ट खिलाडियों के लिये एवं 12.5 प्रतिशत भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रखें जाते हैं। इन पदों का आरक्षण क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) होगा। अर्थात आवेदक जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग/अति पिछडा वर्ग) का उपलब्ध होगा, उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा। उपयुक्त निःशक्तजन, उत्कृष्ट खिलाडी एवं भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता की स्थिति में इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जायेगा।

- विभिन्न वर्ग के लिए आरक्षित पदों में से 30 प्रतिशत पद उसी वर्ग के महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रहेंगें, जिसमें 20 प्रतिशत सम्बंधित वर्ग की सामान्य महिला, 08 प्रतिशत विधवा महिलाओं एवं 02 प्रतिशत परित्यकता महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगें।

- महिलाओं हेतु आरक्षित पदों पर गणना करते समय वर्गीकरण में अगर प्वाईंट 99 तक भी आरक्षण आता है, तो उसका लाभ नहीं दिया जायेगा। उदाहरणार्थ – अगर किसी वर्ग में महिलाओं हेतु आरक्षित पदों का 3.99 आरक्षण होता है, तो उसे सिर्फ 03 पदों का ही आरक्षण मिलेगा।

- उदाहरण के तौर पर अगर 100 पद विज्ञापित किए गए है, तो पदों का वर्गीकरण निम्न प्रकार रहेगा :–

  (अ) अनुसूचित जाति के लिए 16 पद, जिसमें से 30 प्रतिशत महिलाओं हेतु आरक्षित पदों की गणना 4.80 रहेगी, जिसका पूर्ण आरक्षण 04 पद ही रहेंगें, जिसमें से विधवा महिलाओं हेतु 08 प्रतिशत के हिसाब से 01 पद आरक्षित रहेगा एवं 03 पद सामान्य अनुसूचित जाति महिलाओं हेतु आरक्षित रहेंगें। परित्यकता महिला हेतु आरक्षित 02 प्रतिशत पदो के हिसाब से कोई भी पद आरक्षित नहीं रहेगा।

(ब) अनुसूचित जनजाति के लिए 12 पद, जिसमें से 30 प्रतिशत महिलाओं हेतु आरक्षित पदों की गणना 3.60 रहेगी, लेकिन अनुसूचित जनजाति के अन्य वर्ग के लिए 09 पद एवं महिलाओं के लिए 03 पद ही रहेंगें। महिलाओं हेतु आरक्षित 03 पदों में विधवा/परित्यकता महिला हेतु कोई भी पद आरक्षित नहीं रहेगा, क्योंकि 12 पदों के विरूद्ध विधवा महिलाओं हेतु आरक्षित 08 प्रतिशत एवं परित्यकता हेतु 02 प्रतिशत के हिसाब से कोई भी पद आरक्षित नहीं रहेगा।

(स) अन्य पिछडा वर्ग के लिए 21 पद आरक्षित रहेंगें, जिसमें से 30 प्रतिशत महिलाओं हेतु आरक्षित पदों की गणना 6.30 रहेगी, जिसका पूर्ण आरक्षण 06 पद ही रहेंगें, जिसमें से विधवा महिलाओं हेतु 01 पद आरक्षित रहेगा एवं 05 पद अन्य पिछडा वर्ग सामान्य महिलाओं हेतु आरक्षित रहेंगें। परित्यकता हेतु आरक्षित 02 प्रतिशत पदो के हिसाब से कोई भी पद आरक्षित नहीं रहेगा।

(द) अति पिछडा वर्ग हेतु आरक्षित 01 पद के विरूद्ध किसी भी महिला का आरक्षण नहीं रहेगा।

(य) सामान्य वर्ग हेतु आरक्षित 50 पद आरक्षित है, जिसमें से महिलाओं हेतु 30 प्रतिशत आरक्षण के हिसाब से 15 पद आरक्षित रहेंगें, जिसमें से विधवा महिलाओं हेतु 08 प्रतिशत के हिसाब से 04 पद एवं परित्यकता महिलाओं हेतु 02 प्रतिशत के हिसाब से 01 पद आरक्षित रहेगा। शेष रहे 10 पद सामान्य महिलाओं हेतु आरक्षित रहेंगें।

- अगर किसी वर्ग में महिला अभ्यर्थी उपलब्ध ना हो, तो उन पदों को उसी वर्ग के पुरूष अभ्यर्थी से भरा जावेगा।
- अगर अनुसूचित जाति/जनजाति के योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध ना, हो और पद खाली रह जायें, तो उसे रिक्त ही रखा जाये।
- अगर अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध ना, हो तो उनके लिए आरक्षित पदों को सामान्य प्रक्रिया यथा सामान्य वर्ग से भरा जाये।
- सफाई कर्मचारी भर्ती हेतु निकाली जाने वाली लॉटरी में पहले अनुसूचित जाति, उसके बाद अनुसूचित जन जाति, उसके बाद अन्य पिछडा वर्ग/अति पिछडा वर्ग एवं अन्त में सामान्य वर्ग हेतु प्रक्रिया अपनायी जावेगी।
- यहां यह स्पष्ट किया जाता है, कि जिस किसी भी वर्ग में विधवा/परित्यकता महिला के पद आरक्षित है, उस वर्ग में अगर विधवा महिला और/या परित्यकता महिला उपलब्ध नहीं है, तो उस पद को एक दूसरे के विरूद्ध भी भरा जा सकेगा। उदाहरार्थ – विधवा महिला हेतु पद आरक्षित है और विधवा महिला उपलब्ध नहीं है, तो उस पद को परित्यकता महिला से भरा जा सकेगा। यही प्रक्रिया परित्यकता महिला हेतु आरक्षित पद के संदर्भ में भी लागू होगी।

<u>राज्य की टीएसपी क्षेत्र (डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ एवं उदयपुर के कुछ क्षेत्र) हेतु आरक्षण के संबंध में मार्गदर्शन :–</u>

1. अनुसूचित क्षेत्र के लिए अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति आरक्षण की गणना राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ. 13(20) कार्मिक/क–2/91/पार्ट दिनांक 04.07.2016 के अनुसार की जायेगी।

2. अनुसूचित क्षेत्र भारत के राष्ट्रपति, द्वारा समय–समय पर यथा संशोधित अधिसूचना संख्या एफ. 19(2) 80–एल–1 दिनांक 12.02.1981 द्वारा घोषित क्षेत्र है।
3. टीएसपी क्षेत्र हेतु निर्धारित आरक्षण निम्न प्रकार है :–
(अ) 50 प्रतिशत सामान्य वर्ग।
(ब) 45 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति।
(स) 05 प्रतिशत अनुसूचित जाति।

टीएसपी क्षेत्र हेतु अन्य पिछडा वर्ग/अति पिछडा वर्ग के लिए अलग से कोई आरक्षण देय नहीं है। ऐसे अभ्यर्थीयों को सामान्य प्रक्रिया द्वारा ही आवेदन करना होगा एवं सामान्य प्रक्रिया द्वारा ही भर्ती की जायेगी।

4. टीएसपी क्षेत्र हेतु विज्ञापित पदों पर सिर्फ उसी क्षेत्र के अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगें, जिसके लिए उन्हें सक्षम अधिकारी से टीएसपी क्षेत्र का मूल निवासी होने का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

5. महिलाओं हेतु पदों पर आरक्षण वर्गवार 30 प्रतिशत ही रहेगा, जिसमें 20 प्रतिशत सम्बंधित वर्ग की सामान्य महिला, 08 प्रतिशत विधवा महिला एवं 02 प्रतिशत परित्यकता महिलाओं हेतु देय होगा।

लाटरी के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश :–

- सर्वप्रथम निकाय की कुल रिक्तियों का वर्गवार विभाजन कर प्रत्येक वर्ग के लिये उपलब्ध रिक्तियों की संख्या तय की जावें इसके पश्चात् सभी प्राप्त आवेदन पत्रों की वर्गवार छटनीं की जावे।
- लाटरी दिनांक 25 जून से 29 जून 2018 को जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा जिला मुख्यालय पर कम्प्यूटर के माध्यम से निकाली जावेगी।
- विभागीय आदेश क्रमांक 1528 दिनांक 20.04.2018 के द्वारा उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग के स्थान पर सम्बन्धित मुख्य नगर पालिका अधिकारी को लोटरी समिति में सदस्य सचिव घोषित किया गया था। विभागीय आदेश क्रमांक 789 दिनांक 13.04.2018 के द्वारा गठित लोटरी समिति प्रभावी रहेगी। अर्थात सम्बन्धित क्षेत्रीय उपनिदेशक भी समिति के सदस्य रहेंगे।
- लाटरी हेतु पृथक से सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है जिसें शीघ्र ही सभी नगरीय निकायों एवं सभी जिला कलक्टर्स कार्यालयों की साईट पर अपलोड कर दिया जावेगा।
- लाटरी वर्गवार आयोजित की जावेगी। जिसमें सर्वप्रथम लाटरी अनुसूचित जाति वर्ग की निकाली जावेगी, इसके पश्चात अनुसूचित जन जाति इसकें पश्चात अन्य पिछडा वर्ग, अति पिछडा वर्ग एवं अन्त में सामान्य अभ्यार्थियों की लाटरी निकाली जावेगी।
- सभी वर्ग की लाटरी में सर्वप्रथम परित्यक्ता इसके पश्चात विधवा एवं सामान्य महिला की लाटरी निकाली जावेगी। तत्पश्चात् अन्य आरक्षित श्रेणी के आवेदक यदि उपलब्ध

है, तो उनकी लाटरी निकाली जावेगी एवं अन्त में सामान्य पुरूष हेतु लाटरी से आवेदकों का चयन किया जावेगा।

- सर्वप्रथम एससी वर्ग की परित्यक्ता इसके पश्चात् विधवा वर्ग की लॉटरी निकाली जावेगी। परित्यक्ता/विधवा के चयन से शेष रहे आवेदन पत्रों को अनुसूचित जाति सामान्य महिला की लॉटरी में सम्मिलित किया जाकर अनुसूचित जाति सामान्य महिला की लॉटरी निकाली जावेगी। तत्पश्चात् अनुसूचित जाति महिला के शेष रहे आवेदन पत्रों को अनुसूचित जाति के पुरूष वर्ग के आवेदन पत्रों में शामिल किया जाकर पुरूष वर्ग की लॉटरी निकाली जावेगी।
- अनुसूचित जाति परित्यक्ता/विधवा वर्ग की महिलाओं के शेष रहे आवेदन पत्र सामान्य वर्ग की परित्यक्ता एवं विधवा महिलाओं के आवेदन पत्रों में शामिल कर लॉटरी निकाली जावेगी। अनुसूचित जाति की महिलाओं के शेष रहे आवेदन पत्रों को सामान्य वर्ग की महिला के आवेदन पत्रों में शामिल किया जाकर सामान्य वर्ग की महिलाओं की लॉटरी निकाली जावेगी एवं सामान्य वर्ग की महिला की लॉटरी के शेष रहे आवेदन पत्रों को सामान्य वर्ग के पुरूष के आवेदन पत्रों में शामिल किया जाकर लॉटरी निकाली जावेगी।
- उक्त प्रक्रिया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग एवं अति पिछडा वर्ग के लिये की जावेगी।
- उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार लाटरी आयोजित किये जाने हेतु अभ्यर्थी का आवेदन पत्र क्रमांक एवं अभ्यर्थी का नाम अंकित होगा तथा सफल अभ्यर्थियों के नामों की सूची उसी दिवस को जिला कलक्टर के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर व संबंधित पालिका के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जावेगी। तत्पश्चात् चयनित अभ्यर्थियों को नियमानुसार पालिका द्वारा नियुक्ति पत्र जारी किये जावेंगें।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछडा वर्ग एवं अति. पिछडा वर्ग के आवेदकों की लाटरी सर्वप्रथम निकाली जावें एवं लाटरी में चयनित अभ्यार्थियों को पृथक करते हुए सामान्य वर्ग की लाटरी में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछडा वर्ग एवं अति पिछडा वर्ग के शेष रहे आवेदन पत्रों को सामान्य वर्ग की लाटरी में शामिल किया जावे।
- उदाहरणार्थ किसी नगरीय निकाय में कुल स्वीकृत पद 100 है तोः–

वर्ग	पद	प्राप्त आवेदन	लाटरी के द्वारा चयनित	शेष आवेदन पत्र
एससी	16	200	16	184
एसटी	12	150	12	138
ओबीसी	21	100	21	79
एसबीसी	1	50	1	69

योग	50	500	50	450
सामान्य	50	100	लाटरी हेतु आवेदन(100+450)	550

- उक्तानुसार सर्वप्रथम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछडा वर्ग एवं अति. पिछडा वर्ग की लाटरी उनके वर्गवार आवेदनों में से निकाली जावे, तत्पश्चात आरक्षित वर्ग के शेष रहे आवेदन एवं सामान्य वर्ग के आवेदन कुल 550 में से सामान्य वर्ग के लिए लाटरी निकाली जावे।
- सफाई कर्मिकों की भर्ती के लिये विभाग द्वारा एक सॉफ्टवेयर तेयार करवाया गया है, जिसमें निकायवार लॉगिन आईडी/पासवर्ड संबंधित निकाय को उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसकी सूचना ई–मेल के माध्यम से आपको शीघ्र प्राप्त होगी। लॉगिन के माध्यम से संबंधित निकाय द्वारा निकाय में प्राप्त आवेदन पत्रों का इन्द्राज सॉफ्टवेयर पर किया जाना है। आवेदनों की संख्या अधिक होने पर निकाय एक ही लॉगिन आईडी के माध्यम से एक से अधिक कम्प्यूटरो द्वारा सॉफ्टवेयर पर आवेदन पत्रों का इन्द्राज कर सकेंगे।
- निकाय में प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों का सॉफ्टवेयर पर सात दिवस में इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित करें।
- जांच के दौरान जो आवेदन पत्र निरस्त योग्य पाये जाये तो उन्हें सॉफ्टवेयर पर रिमार्क के साथ निरस्त का इन्द्राज निकाय द्वारा किया जावेगा।
- सॉफ्टवेयर पर आवेदनों की जाँच के पश्चात लाटरी प्रकिया सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जावेगी। जिसके लिये विस्तृत दिशा–निर्देश अलग से जारी किये जायेंगे।

(पवन अरोडा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांकः–प.1(ग)( )का/एसएमई/एलएसजी/18/ दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है–

1. वरिष्ठ सहायक माननीय मंत्री महोदय स्वायत्त शासन विभाग राज जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव कार्मिक विभाग राज जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग राज जयपुर।
4. सचिव, राज्य सफाई कर्मचारी आयोग, कृषि भवन राज जयपुर।
5. सुरक्षित पत्रावली।

(डॉ वीरेन्द्र सिंह)
उप निदेशक(प्रशासन)